<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक—500 / 2014 संस्थित दिनांक—09 / 06 / 2014 फाईलिंग नम्बर—234503003352014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

कुशकुंवर पन्द्रे पिता जोआरीलाल पन्द्रे, उम्र 22 साल, जाति गोंड, निवासी—ग्राम बोरिया, थाना छपारा जिला सिवनी (म.प्र.)

______ <u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-15/02/2016 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—02.05. 2014 को 09:30 बजे थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मेन रोड ग्राम पल्हेरा डॉ. बी.एल. पटले के घर के सामने लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी.50—एम.ई.1879 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन से रोशनलाल को टक्कर मारकर उपहित कारित की व उक्त वाहन को बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के चलाया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रोशनलाल ने आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम कटंगी का निवासी है तथा कृषि का कार्य करता है। दिनांक—02.05.2014 को करीब 09.30 बजे अपनी पत्नी कमलाबाई के साथ पैदल भीमजोरी जा रहा था पल्हेरा से बाकीगुड़डा जाने वाली मेन रोड में ग्राम पल्हेरा में डॉ. बी.एल. पटले के घर के सामने पीछे तरफ से मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी.50—एम.ई.1879 का चालक कुशकुंवर तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल को लहराते हुये चलाकर पीछे तरफ से लाया और उसे जोरदार टोस मारा जिससे वह गिर पड़ा, जिससे उसे दाहिने पैर के घुटने, दांये एवं बांये हाथ की कलाई में चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी

केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-81/14, धारा-279, 337 भा.दं. वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 5/180, 130(3)/177 के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279, 337 एवं मोटरयान 3— अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत रोशनलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–337 का अपराध शमन किया जाकर शेष भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा–3 / 181 के अंतर्गत के अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है :-4-

- क्या आरोपी ने दिनांक-02.05.2014 को 09:30 बजे थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत मेन रोड ग्राम पल्हेरा डॉ.बी.एल. पटले के घर के सामने लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल कमांक-एम.पी.50-एम.ई 1879 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के चलाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

फरियादी / आहत रोशनलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन 5-किये हैं कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पुरानी है। घटना के समय वह अपनी पत्नी कमलाबाई के साथ पैदल जा रहा था तभी रोड पर पीछे की तरफ से आरोपी मोटरसाईकिल चलाते हुये लाया और उसे टक्कर मार दी जिससे उसके पैर में चोट आई। आरोपी गाड़ी कैसे चला रहा था वह नहीं बता सकता। उसका शासकीय अस्पताल बिरसा में ईलाज हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर आकर पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था एवं आरोपी की गलती से ही दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग का कथन दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो चुका है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे थाने में सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे एवं उसने पुलिस को घटना के समय आरोपी की गलती के बारे में जानकारी नहीं दी थी। साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

6— साक्षी / अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश मिश्रा (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि उसने दिनांक—02.05.2014 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये प्रार्थी रोशनलाल की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी कुशकुंवर के विरुद्ध अपराध कमांक—81 / 14, धारा—279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त अपराध कमांक की डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने दिनांक—02.05. 2014 को प्रार्थी रोशनलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थी रोशनलाल, साक्षी कमलाबाई, कण्डीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने दिनांक—05.05.2014 को आरोपी कुशकुंवर से मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी. 50—एम.ई.1879, रजिस्ट्रेशन बुक साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस

पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान आरोपी के पास घटना के समय मोटरसाईकिल चलाने का लायसेंस न होने एवं बिना लायसेंस धारक को गाड़ी चलाने देने से एवं मोटरसाईकिल के बीमा एवं अन्य दस्तावेज पेश न करने से अन्तिम प्रतिवेदन में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 5/180, 130(3)/177 बढ़ायी गई थी।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थी रोशनलाल के बताये अनुसार लेखबद्ध न करते हुये अपने मन से लेखबद्ध की थी एवं उसने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रार्थी रोशनलाल के बताये अनुसार तैयार न करते हुये अपने मन से थाने में बैठकर तैयार किया था। साक्षी ने इस बात से भी अपने प्रतिपरीक्षण में इन्कार किया है कि उसने प्रार्थी रोशनलाल एवं साक्षी कमलाबाई, कण्ठीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न करते हुये अपने मन से लेखबद्ध किये थे एवं उसने आरोपी से मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.50—एम.ई.1879, रजिस्ट्रेशन बुक साक्षियों के समक्ष जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने इस बात से भी अपने प्रतिपरीक्षण में इन्कार किया है कि उसने आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही साक्षियों के समक्ष नहीं की थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

8— अभियोजन की ओर से मात्र साक्षी/आहत रोशनलाल (अ.सा.1) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश मिश्रा (अ.सा.2) की साक्ष्य कराई है, जिसमें से स्वयं रोशनलाल (अ.सा.1) ने आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/अनुसंधानकर्ता अधिकारी उमेश मिश्रा (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा प्रकरण में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/आहत रोशनलाल (अ.सा.1) के द्वारा स्वयं आहत होते हुये भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से लोकमार्ग से चलाया जाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। यद्यपि आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जाना प्रमाणित है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा चक्त को बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181 का उल्लंघंन किया जाना प्रमाणित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना के समय आरोपी ने दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, किन्तु अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था। फलतः आरोपी कुशकुवर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अन्तर्गत दोषमुक्त कर मोटरयान अधिनियम की धारा-3 / 181 के अन्तर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता है।

आरोपी के विरूद्ध गम्भीर अपराध प्रमाणित न होने से उसे मोटरयान 10-अधिनियम के उपबंध का उल्लघंन करने से केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना पर्याप्त होगा। अतएव आरोपी कुशकुंवर को मोटरयान अधिनियम की धारा-3 / 181 के अपराध के अन्तर्गत 500 / - रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिकम की दशा में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे ।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 11-

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई. 12-1879 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपूर्ददार बुद्धसिंह मेरावी पिता थानसिंह मेरावी साकिन पण्डरापानी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किये गये हैं, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझे जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ा, बैहर, -बालाघाट निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट